मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498
ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट www.vyapam.nic.in

ANMTST - 2013

(ANM TRAINING SELECTION TEST)

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण चयन परीक्षा–2013

(केवल लड़कियों के लिये)

स.क्रं.	विवरण		प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
1.	ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की तिथियॉं		06.05.2013	04.06.2013
2.	आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन की तिथियॉं		05.06.2013	14.06.2013
3.	परीक्षा दिनांक व दिन		14.07.2013 (रविवार)	
4.	परीक्षा शुल्क	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए :–	रू.. 400/–	
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ निः ाक्तजन के लिए :–	रू.. 200/–	
5.	ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 50/– देय होगा।			

ijh{kk dh le; lkj.kh

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉं भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
14.07.2013,रविवार	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 12:15 बजे तक (2:00 घंटे)

नोट :–

- परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद परीक्षा केन्द्र में पहुंचने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षार्थी को परीक्षा उपरांत परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व अपनी उत्तरशीट वीक्षक को सौंपना अनिवार्य है।
- सेल्यूलर/मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल, रफ पेपर आदि परीक्षा कक्ष में ले जाना वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जवाबदारी/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- io'k ijh{kkvk d vH;fFk;k dk ijh{kk dUn ij io'k i= o d{kk 10oh dh ey vdlph ydj tkuk vfuok;l g ¼ey vdlph dh lj{kk dk leLr nkf;Ro vH;Fkh dk gkxk½

विषय–सूची

		कंडिका	पृष्ठ क्र.
अध्याय – 1 : चयन के लिए नियम			
–	सामान्य	1.1	4
–	सीटों का आरक्षण	1.2	4–5
–	प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें	1.3	5–7
–	शैक्षणिक अर्हता	1.3.2	7
–	चयन प्रक्रिया	1.4	8
–	प्रवेश हेतु एवं काउंसिलिंग	1.5	8–10
–	चयनोपरान्त पी.टी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य	1.6	10
–	प्रवेश रद्द करना	1.7	10
–	प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम तथा प्रशिक्षणार्थियों हेतु रिक्त स्थान	परिशिष्ट–अ	11–12
–	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें	परिशिष्ट–ब	13
अध्याय – 2 : निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम			
_	ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया	2.1	14
_	फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर से संबंधित निर्देश	2.4	15
_	ऑनलाईन आवेदन–पत्र की स्क्रुटनी	2.7	17–18
_	परीक्षा प्रवेश पत्र (Test Admit Card)	2.8	18
_	परीक्षा शहर	2.9	18
_	परीक्षा परिणाम का प्रकाशन	2.19	21
_	क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)	2.22	22

अध्याय – 3 :

प्रमाण–पत्रों के प्रारूप 01 से 11 पृष्ठ क्रं. 23 से 33 तक

अध्याय – 4 :

पाठ्यक्रम पृष्ठ क्रं. 35 पर

अध्याय – 5

ओएमआर उत्तरशीट भरने संबंधी निर्देश पृष्ठ क्रं. 36 से 39 तक

अध्याय–1

ANMTST - 2013

(ANM TRAINING SELECTION TEST)
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण चयन परीक्षा (केवल लड़कियों के लिये)

मध्यप्रदेश शासन

चयन नियम

RULES FOR SELECTION

RULES FOR ADMISSION TO ANM TRAINING
IN SELECTED GOVERNMENT TRAINING CENTRES
(FOR APPOINTMENT AGAINST THE POST OF ANM)

2013

Made and Issued by

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES
GOVT. OF MADHYA PRADESH, BHOPAL

अध्याय–1

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए नियम 2013

1.1 सामान्य :

1.1.1 ये नियम राज्य के शासकीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये कहलायेंगे।

1.1.2 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के विभिन्न महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश चाहते हैं।

1.1.3 परिभाषाएं :

इन नियमों में –

1. राज्य शासन से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन।
2. टेस्ट से तात्पर्य है ANM Training Selection Test (ANMTST) महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण चयन परीक्षा।
3. आयुक्त/संचालक से तात्पर्य है आयुक्त/संचालक (प.क.) तथा उप–संचालक से तात्पर्य है उप–संचालक (प.क.), स्वास्थ्य संचालनालय।
4. श्रेणी से तात्पर्य है 3 श्रेणियों के उम्मीदवार यथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति जिनके लिये सीटें प्रचलित नियमों के अन्तर्गत आरक्षित की गयी हैं।

1.2 सीटों का आरक्षण :

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिये क्रमशः प्रवेश क्षमता का 16%, 20% तथा 14% सीटों का आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा परिशिष्ट –''अ''– में दिया गया है।

टिप्पणी :–

(अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस आरक्षित श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा है, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण–पत्र इस परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही काउन्सलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट :– प्रवेश हेतु नियम पुस्तिका में जहाँ–जहाँ प्रमाण–पत्रों के प्रारूपों का उल्लेख किया गया है, ये सभी प्रारूप नियम पुस्तिका के अध्याय–3 में देखें।

1.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (एस.सी.) तथा अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) श्रेणी – ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति श्रेणी में होने का

दावा करता है, उसे प्रवेश के आवंटित केन्द्र में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगेः–

(अ) सक्षम अधिकारी के नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण–पत्र।

(ब) इसी नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार अपने पिता का नाम और यदि पिता जीवित न हो तो माता का नाम, यदि माता–पिता दोनों न हो तब वैध अभिभावक का नाम का शपथ–पत्र।

(स) विवाहित लड़की के संबंध में यह शपथ–पत्र उसके पति द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।

(द) यदि ऐसा शपथ–पत्र किसी भी प्रकार से झूठा या गलत पाया गया तो उम्मीदवार का प्रवेश संबंधी दावा अस्वीकार कर दिया जावेगा एवं यदि उसमें प्रवेश पा लिया है तो उसे निरस्त कर दिया जावेगा।

1.2.2 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी क्रीमीलेयर को छोड़कर – ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति क्रीमीलेयर को छोड़कर श्रेणी में होने का दावा करता है उसे प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1.3 प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :–

1.3.1 अधिवासी संबंधी आवश्यकताएँ :–
प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार की पात्रता होगीः–

1. जो भारत का नागरिक हो।

2. (क) जिसने जिस वर्ष प्रवेश चाहा है उसके ठीक पहले की 5 वर्ष की अवधि में मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो।

अथवा

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 1 के अनुसार मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हो।

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित की पुत्री हो –

1. मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुये मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी (निर्धारित प्रारूप देखें)।

अथवा

2. केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी सम्मिलित है अथवा सार्वजनिक

उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो जनवरी 2008 को अथवा उसके पूर्व की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो।

3. ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में स्थायी रूप से बस गया हो।

स्पष्टीकरणः— 1. मध्यप्रदेश का मूल निवासी —उम्मीदवार मध्यप्रदेश का मूल निवासी तभी माना जावेगा जब वह नीचे दी गई दोनों शर्तों 'अ' एवं 'ब' की पूर्ति करेगा।

अ. वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो।

अथवा

उम्मीदवार स्वयं उसके पिता या माता यदि पिता जीवित न हो अथवा यदि माता—पिता दोनों जीवित न हो तो उसका वैध अभिभावक परीक्षा के वर्ष से ठीक पहले कम से कम पांच वर्षों से मध्यप्रदेश में कोई व्यवसाय अथवा व्यापार कर रहा हो अथवा अचल सम्पत्ति रखता हो।

ब. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक अध्ययन किया जिसमें कक्षा एक से पूर्व शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

उसने मध्यप्रदेश स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से आठवीं कक्षा अथवा 12वीं प्रणाली की दसवीं बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

टिप्पणी :— मध्यप्रदेश का मूल निवासी संबंधी प्रमाण—पत्र प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिऐ। इस प्रमाण—पत्र में संदर्भ क्रमांक जारी करने की तिथि कार्यालय सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

प्रवेश के समय अधिवासी संबंधी प्रमाण—पत्र की दोनों शर्तों 'अ' तथा 'ब' के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

स्पष्टीकरण :— 2 **अभिभावक** — किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित दंडाधिकारी की राय में उम्मीदवार के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उनकी अचल संपत्ति का दोनों का वास्तविक संरक्षक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :— 3 **दत्तक पुत्री** — यदि कोई उम्मीदवार सामान्य अथवा किसी आरक्षित संवर्ग में दत्तक पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक पुत्री होने के संबंध में समाधानकारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की

निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम पाँच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा। दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय / महाविद्यालय के अभिलेख अथवा गत पांच वर्षों से उम्मीदवार द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण–पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अन्तर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेखों में दर्ज उम्मीदवार के केवल पिता का नाम ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की दत्तक उम्मीदवार के मामले में यह आवश्यक होगा कि ऐसी उम्मीद्वार गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की ही रही हो। ऐसी उम्मीद्वार जो मूलतः अन्य जाति की हो तथा जिन्हें किन्हीं अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद ले लिया हो, उन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीद्वार को प्राप्त सुविधा एवं लाभ की पात्रता नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः– 4 विकलांग उम्मीद्वार के प्रावीण्यता (मैरिट) में आने की स्थिति में विकलांगता के साथ वह उम्मीद्वार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद के कर्तव्यों को निभा सकेगी अथवा नहीं, ऐसा स्पष्ट मत जिला मेडिकल बोर्ड से लिया जाकर प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

1.3.2 **शैक्षणिक अर्हता :–** इन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में प्रवेश हेतु उम्मीद्वार माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10+2 प्रणाली की 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

नोटः– 11वीं हायर सेकेण्ड्री (पुरानी पद्धति) उत्तीर्ण उम्मीद्वारों को पात्रता नहीं है।

अथवा

मध्यप्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त शासकीय, अशासकीय सीबीएसई / आई.सी.एस.ई में 10+2 की कक्षा 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीद्वारों को उक्त चयन में प्रवेश हेतु पात्रता होगी।

1.3.2.1 **अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यार्थियों की पात्रता :–** प्रवेश परीक्षा में वे छात्राऐं भी सम्मिलित हो सकती है जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की 10+2 पद्धति की 12वीं कक्षा एवं समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो रही हैं, किन्तु इन छात्राओं को अर्हकारी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश की पात्रता सिद्ध करनी होगी। पूरक (सप्लीमेंट्री) आने पर प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अपात्र होंगें।

1.3.3 **आयु सीमा :–** 1 जुलाई 2013 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहियें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं परित्यक्ता तथा विधवाओं के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी।

1.3.4 **स्पष्टीकरण :–** आयु–सीमा की गणना करते समय उच्चतर माध्यमिक प्रमाण–पत्र (10वीं) या इसकी अंकसूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

1.4 चयन प्रकियाः–

1.4.1 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण के चयन हेतु म.प्र. व्यवसायिक परीक्षा मंडल मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा एक चयन परीक्षा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण चयन परीक्षा (ए.एन.एम.टी.एन.टी.) आयोजित की जावेगी। मंडल द्वारा इस परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूचियां श्रेणीवार उपलब्ध करायी जावेगी। प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन सम्बन्धी चयन प्रकिया www.mponline के माध्यम से की जावेगी।

नोटः– आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीद्वार जो प्रावीण्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी की सीटों के विरूद्ध गिना जावेगा, उन्हें अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी दोनों में दर्शाया जावेगा। ऐसे उम्मीद्वारों को प्रशिक्षण केन्द्रों का आवंटन संबंधित आरक्षित श्रेणी में उनकी प्रावीण्यता के आधार पर किया जावेगा। ऐसे उम्मीद्वारों को संख्या के बराबर अनारक्षित श्रेणी के उम्मीद्वारों के लिये उपलब्ध स्थानों को अतिरिक्त रूप से संबंधित आरक्षित श्रेणी के उम्मीद्वारों को मेरिट कमानुसार प्रवेश उपलब्ध कराया जावेगा।

1.4.2 इस परीक्षा के लिये किसी न्यूनतम अर्हकारी अंको का प्रावधान नहीं रखा गया है। प्रवेश हेतु केवल एक प्रश्न–पत्र 100 अंक का होगा, जिसमें से 50 अंक का सामान्य ज्ञान (बारहवीं कक्षा स्तर का) एवं 50 अंक का सामान्य विज्ञान (दसवीं कक्षा स्तर का) के प्रश्न होंगे। कुल अंक में प्राप्त अंको का योग होगा।

1.4.3 समान कुल प्राप्त अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता :– समान कुल अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी की प्रावीण्यता (मेरिट) उनको प्राप्त कुल प्राप्तांको के आधार पर बनाई जावेगी।

1.4.4 प्रवेश परीक्षा में उम्मीद्वारों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर मंडल द्वारा छात्राओं की श्रेणी अनुसार मेरिट सूचियां बनायी जावेंगी। यदि किसी उम्मीदवार के प्राप्तांक समान है तो मेरिट का निर्धारण उसकी जन्मतिथि के आधार पर किया जावे, अर्थात अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को मेरिट कम में प्रथम रखा जावें।

1.5 प्रवेश प्रकिया :–

1.5.1 मंडल द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करते समय अंकसूची में भी उम्मीद्वारों के मेरिट क्रम वर्गवार (ओपन केटेगरी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) उल्लेख किया जावेगा। प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से किया जावेगा। मेरिट सूची के आधार पर छात्राओं को उनके द्वारा एम.पी.ऑनलाईन में किये गये पंजीयन के आधार पर प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जावेगा।

नोटः– **प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु वर्ष जुलाई 2013 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पृथक से कोई काउन्सिलिंग नहीं की जावेगी।**

प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से किया जायेगा । मण्डल स्तर से कुल प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या के लिये निर्धारित 1610 सीटों की प्रावीण्य सूची जिसमें 805 अनारक्षित, 261 अनु.जाति, 322 अनु. जनजाति एवं 222 अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रावीण्य सूची उपलब्ध करायी जावेगी । इसी कम में श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची भी उपलब्ध करायी जावेगी। एम.पी. ऑनलाईन की काउंसिलिंग के पश्चात प्रशिक्षण केन्द्रवार एवं श्रेणीवार उपलब्ध करायेंगे ।

1.5.2 **प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थिति अनिवार्यः–**

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण पूरे 32 प्रशिक्षण केन्द्रों में एक साथ प्रारंभ किया जायेगा । मेरिट के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को दिनांक 15.7.2013 को अपनी उपस्थिति सम्बंधित प्रशिक्षण केन्द्र की प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगी । जो उम्मीद्वार नियत तिथि को उपस्थित नहीं होगे उनका कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

1.5.3 **प्रमाण–पत्रों की सूची** :– उम्मीद्वारों को सम्बंधित प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थिति देते समय अपने साथ निम्न प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति साथ में लाना अनिवार्य है अन्यथा उनको प्रशिक्षण में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

1. 10+2 प्रणाली की कक्षा दसवी एवं बारहवीं की अंकसूची प्रत्येक की एक–एक सत्यापित एवं मूल अंकसूची।

2. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय की गई जाति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति सत्यापित कराकर साथ में लावें।

3. मूल निवासी प्रमाण–पत्र की मूलप्रति एवं प्रत्येक की सत्यापित छायाप्रति।

4. प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा। गर्भवती उम्मीदवार अपात्र (अनफिट) होगी।

5. **मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों को मण्डल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश पत्र व अंकसूची उपलब्ध करायी जावेगी । अतः वेबसाईट से डाउनलोड/मुद्रित कर मूल व सत्यापित प्रति प्रवेश के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र पर उपलब्ध करायें जाने पर प्रवेश दिया जावेगा ।**

टिप्पणीः–

(i) आरक्षित वर्ग के उम्मीद्वार को स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षित वर्ग में चयन किया जायेगा।

(ii) प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थिति प्रस्तुत करने के पूर्व उम्मीद्वार सुनिश्चित कर लें कि अध्याय–एक में दिये नियमों के अनुसार वे प्रशिक्षार्थी प्रवेश हेतु पूर्ण रूप से पात्र है अन्यथा काउंसिलिंग में उपस्थित न हों।

(iii) उपरोक्त में से किसी भी अभिलेख की कमी होने पर प्रवेश हेतु पात्रता नहीं होगी।

(iv) किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा एवं उपयुक्त विधिक कार्यवाही भी की जावेगी।

1.5.4 **प्रतीक्षा सूची के उम्मीद्वारों को सीट का आवंटन** :– नियत तिथि दिनांक 25.7.2013 को उपस्थित नहीं होने वाले उम्मीदवारों की बाद में उपस्थिति मान्य नहीं की जावेगी एवं प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा जिसकी सूचना उन्हें विभागीय बैवसाईट www.health.gov.in के माध्यम से दिनांक 26.07.2013 तक दी जावेगी । प्रतीक्षा सूची से चयनित उम्मीदवारों को दिनांक 12.08.2013 को निर्धारित तिथि में अपनी उपस्थिति सम्बंधित प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चयन समिति द्वारा अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त उपयुक्त उम्मीदवारों को श्रेणीवार रिक्त सीट उपलब्धता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

1.5.5 **यात्रा भत्ता देय नहीं :–**

उम्मीद्वारों को परीक्षा एवं काउंसिलिग में उपस्थित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

1.6 **चयनोन्परान्त पी.टी.एस. (प्रिलिमिरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेन्ट परीक्षा) उत्तीर्ण करना अनिवार्य :**

चयनोपरान्त प्रशिक्षण केन्द्रों में 3 माह के प्रशिक्षण के बाद पी.टी.एस. (प्रिलिमिरी ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेन्ट परीक्षा) जो कि संबंधित संस्था द्वारा ली जायेगी उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इस परीक्षा में असफल होने पर प्रशिक्षण से निष्कासित कर दिया जावेगा।

1.6.1 **प्रशिक्षण के उपरांत 3 वर्ष अनिवार्य शासकीय सेवाः–**

दो वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरान्त विभाग में पद उपलब्ध होने पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी। उम्मीदवार को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर मध्यप्रदेश में कहीं भी 3 वर्ष की शासकीय सेवा करना अनिवार्य है, अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय जो छात्रवृत्ति के रूप में देय है उम्मीद्वार से वसूल किया जाएगा। अनुबंध–पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा एवं छात्रवृत्ति भी नहीं दी जाएगी।

1.7 **प्रवेश रद्द करना :–**

यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीद्वार संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी प्रमाण–पत्र परीक्षण उपरांत फर्जी पाये जाने की स्थिति में चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीद्वार को दिया गया प्रवेश संस्था द्वारा उसके प्रशिक्षण काल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जाएगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक, परिवार कल्याण का निर्णय अंतिम होगा।

1.8 **चयन हेतु नीति के निर्धारण एवं नियम के अर्थ लगाने का अधिकार केवल राज्य शासन को :–**

उम्मीद्वार के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा। यदि इन प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.9 **नियमों प्रवेश प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार :–**

राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.10 **प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें एवं नियम :–**

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में प्रवेश के उपरान्त परीक्षार्थी को जिन नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा वे नियम परिशिष्ट–'ब' में दिये गये हैं।

1.11 **प्रशिक्षण के सफल समापन के उपरान्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति एवं पद का वेतनमान :–**

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने में के फलस्वरूप इन्हें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद रिक्त होने पर प्रदेश में कहीं भी नियुक्ति प्रदान की जावेगी। प्रशिक्षण से संबंधित शेष शर्तें यथावत रहेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा बॉण्ड राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट –अ

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7–26/93/1/आर. प्रा., दिनांक 8 मार्च 1994 के अनुसार परिशिष्ट – द (11) में खुली प्रतियोगिता के द्वारा प्रादेशिक आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिये माडल रोस्टर के अनुसार उपलब्ध 1610 सीटों का केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार रहेगा:–

क्रं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	कुल स्थान	अनारक्षित	अनु.जा.	अनु.ज. जा.	अन्य पिछड़ावर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर
1	2	3	4	5	6	7
1.	बैतूल	60	30	10	12	08
2	रायसेन	40	20	06	08	06
3.	सीहोर	60	30	10	12	08
4	राजगढ़	60	30	10	12	08
5.	होशंगाबाद	60	30	10	12	08
6	भिण्ड	40	20	06	08	06
7.	मुरैना	60	30	10	12	08
8	दतिया	40	20	06	08	06
9	गुना	60	30	10	12	08
10	शिवपुरी	60	30	10	12	08
11	झाबुआ	30	15	05	06	04
12	धार	60	30	10	12	08
13	बुराहानपुर	40	20	06	08	06
14	बडवानी	60	30	10	12	08
15	बालाघाट	60	30	10	12	08
16	छिन्दवाडा	40	20	06	08	06
17	नरसिंहपुर	40	20	06	08	06
18	सिवनी	30	15	05	06	04
19	मण्डला	60	30	10	12	08

क्रं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	कुल स्थान	अनारक्षित	अनु.जा.	अनु.ज. जा.	अन्य पिछड़ावर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर
20	सतना	60	30	10	12	08
21	शहडोल	60	30	10	12	08
22	सीधी	30	15	05	06	04
23	सागर	60	30	10	12	08
24	छतरपुर	60	30	10	12	08
25	पन्ना	40	20	06	08	06
26	टीकमगढ	60	30	10	12	08
27	उज्जैन	40	20	06	08	06
28	देवास	60	30	10	12	08
29	मंदसौर	60	30	10	12	08
30	डिण्डोरी	40	20	06	08	06
31	अनूपपुर	40	20	06	08	06
32	उमरिया	40	20	06	08	06
	योग	**1610**	**805**	**261**	**322**	**222**

नोट :– महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु व्यापम द्वारा ली जाने वाली प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु एक ही प्रश्न पत्र जो कि 10+2 बारहवीं कक्षा पैटर्न के समतुल्य तैयार किया जावे।

परिशिष्ट –ब

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्ते

1. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष की होगी।
2. प्रशिक्षण अवधि में छात्रावास में निवास करना व छात्रावास के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. प्रशिक्षण अवधि में विवाह व गर्भधारण करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्यता मानी जायेगी।
4. प्रत्येक वर्ष के पश्चात् केवल एक माह का ही अवकाश मिलेगा एवं प्रति वर्ष 10 दिवस का मेडिकल अवकाश मिलेगा।
5. प्रशिक्षणार्थी को ड्यूटी के समय गणवेश पहनना अनिवार्य होगा।
6. छात्राओं को कार्य (ड्यूटी समय) पर होते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं को मेस में भोजन करना अनिवार्य है।
9. छात्राओं को प्रशिक्षण अवधि में उनके माता–पिता अभिभावक द्वारा भर्ती के समय लिखित में अधिकृत किये गये व्यक्तियों से ही मिलने की अनुमति दी जावेगी।
10. प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी। प्रशिक्षणार्थी को दो वर्ष की अवधि की छात्रवृत्ति देय होगी।
11. प्रत्येक सप्ताह में एक दिन के लिये अभिभावक से मिल सकने की व्यवस्था और बड़े त्यौहारों पर अपने अभिभावक के पास जाने की अनुमति दी जा सकेगी। परन्तु यह व्यवस्था प्रभारी, प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षणार्थी की धार्मिक भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में, क्लास एवं क्लीनिकल फील्ड अनुभव में बाधक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से करेंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को इसका पालन करना होगा।
12. छात्राओं को आवंटित पास के दिन बाहर जाने पर पुनः संध्याकालीन रोल के समय छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा।
13. छात्राओं को बाहर आने–जाने पर अपना नाम एवं पता अपने जाने का समय रजिस्टर में अंकित करना तथा हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है।
14. प्रशिक्षण के दौरान एक प्रशिक्षण केन्द्र से दूसरे प्रशिक्षण केन्द्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।
15. उपरोक्त निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से पालन ना करने पर एवं प्राचार्य की शिकायत के आधार पर छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षण से निष्कासित किया जावेगा।
16. उपरोक्त नियमों के अलावा प्रभारी प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशासकीय दृष्टि से बनाये गये नियमों का पालन करनी भी छात्राओं के लिये अनिवार्य होगा।
17. छात्राओं द्वारा 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) का बॉण्ड भरना अनिवार्य है।

आयुक्त स्वास्थ्य
सेवायें,मध्यप्रदेश

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण चयन परीक्षा (केवल लड़कियों के लिये)

अध्याय – 2

funi'k ,o i jh{kk l pkyu fu;e

egRoi .k %&

ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन काउंसलिंग/प्रवेश के समय मूल दस्तावेजों के आधार पर संबंधित विभाग/संस्था द्वारा किया जायेगा। अतः बाद में यह पता चलता है कि सफल आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरते समय गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है, ऐसी स्थिति में यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार झूठी/गलत जानकारी देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि आवेदक को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है, तो आवेदक को दिया गया प्रवेश संस्था प्रमुख/प्रवेश प्राधिकरण/मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान तुरंत बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा।

2.1 vkuykbu vkonu&i= Hkju dh 0;oLFkk %&

(1) oc lkbV www.vyapam.nic.in vFkok www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(2) ऑनलाईन आवेदन–पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क को नकद निर्धारित शुल्क महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण चयन परीक्षा (केवल लड़कियों के लिये) –2013 हेतु अनारक्षित/अन्य पिछड़ी जाति के लिए 400@& तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निः ाक्तजन के लिए 200@& तथा अतिरिक्त क्योस्क शुल्क रु. 50/– का भुगतान कर भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टरो कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है।

(3) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन–पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन–पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश–पत्र प्राप्त किया जा सके।

2.2 vkuykbu vkonu&i= d lkFk dkbZ Hkh nLrkost l yXu ugh fd;k tkuk gA

2.3 ,d l vf/kd vkuykbu vkonu&i= Hkju l c/kh funi'k %&

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय मोबाईल नम्बर या ई–मेल आई.डी. (दोनों या कोई एक) की जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिस पर ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंध में आवेदक को एम.पी. ऑनलाईन द्वारा एक सिक्यूरिटी कोड/पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे आवेदक द्वारा गोपनीय रखा जाना होगा। ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन की आवश्यकता पड़ने पर संशोधन अवधि के दौरान उक्त सिक्यूरिटी कोड/पासवर्ड का उपयोग कर ही संशोधन किया जाना संभव हो सकेगा। किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन–पत्र के संबंध में कम्प्यूटर द्वारा सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा गया है, जिसे यदि निरस्त करना चाहते हैं, तो उपलब्ध कराए गए पासवर्ड का उपयोग कर पूर्व में भरे गये आवेदन को निरस्त करने हेतु विकल्प को ''हॉ'' करना होगा। तभी नया ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की सुविधा उपलब्ध होगी। अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन–पत्र ही मान्य होगा। यदि आवेदक पासवर्ड का उपयोग कर पूर्व में भरे आवेदन को निरस्त करता है तो आवेदन पत्र में उल्लेखित ई–मेल, आई.डी. /मोबाईल नम्बर पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी

जाएगी, साथ ही नवीन आवेदन पत्र की हार्डकापी में पूर्व में निरस्त आवेदन के संबंध मे जानकारी दी जाएगी। इस स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन के साथ आवेदक द्वारा भुगतान शुल्क राजसात किया जावेगा।

2.4 vkuykbu vkonu i= d lkFk QkVk ,o gLrk{kj lyXu dju lc/kh fun'kk&

(i) फोटोग्राफ 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. आकार का रंगीन, अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा ।

(ii) फोटोग्राफ <u>vkonu Hkju dh frfFk</u> से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा <u>QkVkxkQ ij f[kpokus dh fnukd o vkond d uke dk Li"V mYys[k gkuk pkfg;A</u>

(iii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियॉ सुरक्षित रखा जाना होगा।

(v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।

(vi) ऑनलाईन आवदेन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होगें।

(vii) उपरोक्त निर्धारित मापदण्ड की फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठे के निशान तीनों की एक ही इमेज jpg फार्मेट में स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा।

2.5 <u>vkuykbu vkonu Hkju d lc/k e fun'k %</u>

2.5.1 ऑनलाईन आवेदन दिनांक 06.05.2013 से 04.06.2013 की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते है। ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

2.5.2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :– (अ) इंटरनेट केफे अथवा (ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा bVjuV d ek/;e l vkuykbu vkonu Qke Hkju dh fof/k %

2.5.2.1 आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **Vyapam** लिंक के अंतर्गत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण चयन परीक्षा (केवल लड़कियों के लिये) –2013 परीक्षा से संबंधित में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी fun'k@**Instructions** तथा परीक्षा fu;e@**Examination Rules** उपलब्ध होंगे। निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें ।

2.5.2.2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही–सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान तीनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें

यथास्थान अंगूठे का निशान, फोटो चिपकाएं तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे Browse बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

2.5.2.3 ऑनलाईन आवेदन–पत्र को Submit करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही Submit बटन का उपयोग कर आवेदन–पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन–पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु proceed to payment बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :–

- क्रेडिट / डेबिट कार्ड।
- इंटरनेट बैंकिंग।

2.5.2.4 ØfMV@MfcV dkM dk ek/;e l i jh{kk 'kYd dk Hkxrku%&

आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट / डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट / डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.5.2.5 bVjuV cfdx d ek/;e l i jh{kk 'kYd dk Hkxrku %&

आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.5.3 ,e-ih- vkuykbu fd;kLd d ek/;e l vkonu Qke Hkju dh fof/k %&

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन–पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरा जावेगा। कियोस्कधारक द्वारा आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान स्केन कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही–सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन–पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया / करवाया जा सकेगा।

2.5.3.2 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने के उपरांत एम. पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर Unpaid Application लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन–पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन–पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।सकता है।

ukV%& vkWuykbZu vkosnu&i= ds lEcU/k esa fdlh Hkh izdkj dh tkudkjh@leL;k ds fy, **M.P. Online** ds **Helpdesk** ds n'kZu, x, njHkk"k Ø- **0755-4019401, 02, 03, 04, 05 & 06** ij lEidZ fd;k tkuk gksxkA

2.6 fu/kkZfjr frfFk esa tek fd, x, vkWuykbZu vkosnu i= esa la'kks/ku dh O;oLFkk %&

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओ के आधार पर होगीः–

2.6.1 ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन–पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

2.6.2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन–पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रू.100/–एवं पोर्टल शुल्क रू. 50/– का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

2.6.3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को अन्य प्रविष्टियों सहित फोटो, हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन–पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

2.6.4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नही किया जायेगा।

2-7 vkWuykbZu vkosnu&i= dk fujLrhdj.k %&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र में आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर नियमपुस्तिका में उल्लेखित निर्धारित मापदंड के अनुरूप न होने अथवा फोटो व हस्ताक्षर

अनुपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र को निरस्त किया जायेगा तथा ऐसे आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन–पत्र अमान्य होने की जानकारी प्रवेश–पत्र में मण्डल की वेबसाईट पर दी जायेगी। एक बार आवेदन पत्र निरस्त होने के उपरांत किसी भी स्थिति में मान्य नही किया जावेगा।

2-8 ijh{kk izos'k&i= (Test Admit Card) :-

नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन–पत्रों प्रवेश–पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराए जायेंगे। प्रवेश–पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

izos'k&i= izkIr djus dh izfØ;k&

ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट– प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन–पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.9 ijh{kk 'kgj o ijh{kk le; :– यह परीक्षा निम्नलिखित शहरों में आयोजित की जायेगी

01.बैतूल	02. रायसेन	03. सीहोर	04.राजगढ़	05.होशंगाबाद	06. भिण्ड
07. मुरैना	08. दतिया	09. गुना	10.शिवपुरी	11. झाबुआ	12. धार
13.बुराहानपुर	14. बडवानी	15. बालाघाट	16.छिन्दवाडा	17.नरसिंहपुर	18.सिवनी
19. मण्डला	20. सतना	21. शहडोल	22. सीधी	23. सागर	24. छतरपुर
25. पन्ना	26. टीकमगढ	27. उज्जैन	28. देवास	29. मंदसौर	30.डिण्डोरी
31. अनूपपुर	32. उमरिया				

अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त करने का अधिकार मण्डल सुरक्षित रखता है। लिखित परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में प्रातः 10.00 से दोपहर 12.15 बजे तक आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश–पत्र पर अंकित होगी।

2.10 ijh{kk gky esa ys tkus gsrq vko';d lkexzh :–

केवल प्रवेश–पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन एव कक्षा 10वीं की मूल अंकसूची लेकर जाना अनिवार्य है (ewy vadlwph dh lqj{kk dk leLr nkf;Ro vH;Fkhz dk gksxk) ।

2.11 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.12 vuqfpr lk/ku (Unfair Means, UFM) :–

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :– निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :–

(क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

(ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

(ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

(घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

(ड.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

(च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला–बदली करना।

(छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

(ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

(झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

(ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

(ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा ।

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

2-13 **ijh{kk i)fr %&** यह परीक्षा एक शिफ्ट में प्रातः 10.00 से दोपहर 12.15 बजे तक आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में वस्तुनिष्ट प्रकार के 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं 50 प्रश्न सामान्य विज्ञान के होंगे । जिनका एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसमें संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बालपाइंट पेन से काला करना होगा। उत्तरशीट की समस्त प्रविष्टियां भी काले पाइंट पेन से भरनी होगी ।

2-14 **ikB~;Øe %&**

पाठ्यक्रम नियम पुस्तिका के अध्याय–4 में दर्शाया गया है।

2-15 **eY;kadu i)fr %&**

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2-16 =fVi.k iz'u] iz'uk dk fujLrhdj.k ,o cny e iznku fd; tku oky vd %&

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4. कोई भी विकल्प सही न हो।
5. यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।
   प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

   उदाहरण स्वरूप यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \text{ x } 100}{(100-2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :– सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.17 iz'u&iqfLrdk d iz'uk@mRrjk d lca/k e vH;konu :–

प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा उपरांत अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप–10 (प्रश्न पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरांत एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

2.18 vkn'k mRrj ¼ekMy vkll½ d lca/k e vH;konu@Qk;uy vkll :–

(1) मॉडल आंसर्स :– परीक्षा के सफल आयोजन के 01 दिन उपरांत प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर मॉडल उत्तर (Model Answers) के रूप में मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा। मॉडल आंसर में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण उत्तरों के संबंध में परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां निर्धारित प्रारूप–11 (मॉडल उत्तर के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा उपरांत मॉडल आंसर्स मंडल की वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर मंडल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी।

(2) फायनल आंसर्स :– प्रारूप 10 में प्रश्न पुस्तिका के त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों तथा प्रारूप 11 में मंडल द्वारा प्रदर्शित माडल उत्तरों के संबंध में

प्राप्त अभ्यावेदनों को ''की'' समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। ''की'' समिति द्वारा सभी अभ्यावेदनों सें संबंधित प्रश्नों/उत्तरो के पूर्ण परीक्षण उपरांत निराकृत करने के पश्चात् फायनल आंसर्स (Final Answers) तैयार किये जायेगे, इस प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक 2-16 vuqlkj ''की'' समिति द्वारा प्रश्नों को निरस्त भी किया जा सकेगा। समिति द्वारा उन प्रश्नों/उत्तरो के संबंध में कोई विचार नही किया जायेगा जिन पर अभ्यावेदन प्राप्त नही हुए है। इस प्रकार तैयार फायनल आंसर्स (Final Answers) के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये फायनल आंसर्स (Final Answers) परिणाम उपरांत मण्डल की बेवसाईट पर उपलब्ध रहेगे। ''की'' समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा सभी आवेदकों के लिये बंधनकारी होगा।

2.19 ijh{kk ifj.kke dk izdk'ku :–

अध्याय–1 से 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ आदर्श उत्तर (Model Answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

2.20 vad lwph dh miyC/krk :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के आधार पर उल्लेखित वेबसाईट से अंकसूची प्राप्त/मुद्रित कर सकते हैं। मण्डल द्वारा डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा तथा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है।

2.21 fyf[kr ijh{kk esa fu%'kDrtu vH;fFkZ;ksa ds fy, miyC/k lqfo/kk,¡ :–

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ–8–2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाऍं प्रदान की जायेगीः–

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :–

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण–पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाऍं :–

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :–

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 60 मिनट
$2\frac{1}{2}$ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 40 मिनट
$1\frac{1}{2}$ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 30 मिनट

(स) लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :–

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।

2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ–पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

(द) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :–

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।

2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

2.22 e.My dk {ks=kf/kdkj %&

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा। परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

2.23 vfHkys[kk dk l/kkj.k %&

मण्डल द्वारा परीक्षा आयोजन उपरांत अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह तक परीक्षा से संबंधित अभिलेखों का संधारण किया जायेगा। इसके पश्चात् परीक्षा से संबंधित समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों को रद्दी घोषित व नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.24 U;kf;d {ks=kf/kdkj %&

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

———0———

<u>अध्याय – 3</u>

प्रमाण–पत्रों के प्रारूप

प्रपत्र – 1 :

उम्मीदवार के पिता / माता/वैध अभिभावक का शपथ–पत्र

(केवल अनुसूचित जाति, जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए)

नाम	: ....
पिता का नाम	: ....
जाति/जनजाति (अनुसूची का क्रमांक) नाम	: ....
धर्म	: ....
व्यवसाय	: ....
पता	: ....
	....

मैं शपथपूर्वक कथन करती हूँ कि :–

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अन्तर्गत जिला ....के लिए घोषित .... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्य हूँ।

अथवा

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी .... जिला .... के समक्ष जाति प्रमाण–पत्र करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक .... को प्रस्तुत किया गया है। उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के
हस्ताक्षर
....

टिप्पणी :– जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट देवें एवं प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

प्रपत्र – 2 :

उम्मीदवार के पिता / माता / वैध अभिभावक का शपथ–पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग ....जिला.. मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक ....
प्रमाण–पत्र क्रमांक........................ प्रकरण क्रमाक.....................

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... पिता / पति का नाम.................................. निवासी ग्राम / नगर ....वि. खं............................तहसील...जिला.. संभाग..जाति / जनजाति...का / की सदस्य है और इस जाति / जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ....जाति / जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक ....पर अंकित है. अतः श्री / श्रीमती / कुमारी ....पिता / पति का नाम... ....अनुसूचित जाति / जनजाति का / की है।

2. प्रमाणित किया जात है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी.. .के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये ....हैं.

हस्ताक्षर
प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम
पदनाम
(सील)

दिनांक ....

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति.

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गए प्रमाण–पत्र मान्य होंगे. (अ) कलेक्टर / अतिरिक्त कलेक्टर / डिप्टी कलेक्टर / एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट, (ब) तहसीलदार, (स) नायब तहसीलदार, (द) परियोजना प्रशासक / अधिकारी, वृहत / मध्यम / एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना,

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र के आधार पर।

प्रपत्र – 3 :

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र का प्रारूप : नियम 1.2.2 देखें

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम) ....आत्मज श्री .... निवासी ग्राम ....जिला / संभाग ....मध्यप्रदेश के निवासी है जो ....जाति ....के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–8–5 / पच्चीस / 4 / 84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है.

श्री.. (पिता का नाम) और / या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला .... संभाग में निवास करता है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....(पिता का नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360 / 2 / 22 / 93 स्था. (एस.सी.टी) दिनांक 8–9–93 द्वारा जारी सूची के कालम–3 में तथा म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–7–16 / 2000 / 1 आ. प्र. दिनांक 6 जुलाई 2000 की अनुसूची अनुक्रमाक 6 आय / संपत्ती आंकलन भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया गया है.

दिनांक..

प्रमाणीकरण अधिकारी का
नाम
पदनाम
(सील)

प्रपत्र – 4 :

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती / कुमारी (उम्मीदवार का नाम) .... श्री / कुमारी ....के पिता / माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से .... (स्थान) तहसील जिला .... में स्थायी रूप से व्यवस्थापित हो गये हैं।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :–
दिनांक .... (कार्यालय सील)

प्रपत्र – 5 :

अधिवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती / कुमारी ....

.........आत्मजा पत्नी श्री ....

....................ने नियमित छात्रा के रूप में इस संख्या ....

............(संस्था का नाम) में सत्र .... से सत्र तक ....

.... अध्ययन किया है।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

नाम एवं पद ....

स्थान ....

(कार्यालय सील)

दिनांक ....

प्रपत्र – 6 :

वास्तविक निवासी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति / कुमारी .... आत्मजा / पत्नी / श्री / श्रीमती .... जो तहसील ....जिला.............................. मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह

(1) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है / हुई है।

अथवा

(2) वह / उसका पालक / वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा / रही है।

अथवा

(3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

(4) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं। इसके अतिरिक्त –

   (1) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

   अथवा

   (2) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित में से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

      (क) 10+2 प्रणाली की दसवीं / बारहवीं कक्षा की परीक्षा

      (ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान ....
दिनांक ....

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं सील

टिप्पणी :– जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

प्रपत्र – 7 :

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति / कुमारी ....
श्री / श्रीमती..का
/ की / पुत्री है।

(क) जो .... विभाग में ....
..........पर .... (तिथि) से पदस्थ
मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी है।

अथवा

(ख) जो .... विभाग में ....
पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो ....
.... (तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो .... विभाग में ....
पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा के रहते
हुए .... (तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो .... विभाग में ....
पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के
अधिकारी हैं।

....

कार्यालय प्रमुख / सक्षम अधिकारी के
हस्ताक्षर

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रपत्र – 8 :

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति/कुमारी ....
.... श्री/श्रीमती...का
/की/पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी 2010 को अथवा उसके पूर्व कि तिथि ....
.... में मध्यप्रदेश में स्थित .... विभाग में ....
.... पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी हैं।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर........................

नाम एवं पद ....

स्थान ....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रपत्र – 9 :

मध्यप्रदेश में पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति / कुमारी ....
.... श्री / श्रीमती..
का / की / पुत्री है, जो .... योजना के तहत
मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन / मध्यप्रदेश शासन द्वारा
पुनर्व्यवस्थापन योजना (Resettlement Scheme) है।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर.......................

नाम एवं पद ....

स्थान ....

(कार्यालयीन सील)

दिनांक ....

प्रारूप–10

(देखें नियम 2.17)

प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों / उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन
(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न–पत्र में निम्नलिखित प्रश्न / उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :–

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक / उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर...............................
आवेदक का नाम.................................

स्थान ....
दिनांक ....

प्रारूप–11

(देखें नियम 2.18)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .... के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :–

स.क्र.	उत्तर क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यार्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्र दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमां

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.........................

दिनांक ....

v/;k; &04

ikB~; dze

lkekU; foKku (50 अंक)

1. ब्रहाण्ड
2. मापन – समय, ताप, लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान का मापन ।
3. पदार्थ– पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के गुण, पदार्थों का पृथक्करण की विधियां, धातु–अधातु, अणु–परमाणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण, रसायनिक संकेत, सूत्र एवं समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण एवं उनके गुण ।
4. भोजन एवं स्वास्थ्य – भोजन के स्त्रोत, भोजन के घटक, भोज्य पदार्थों का संरक्षण, भोजन एवं स्वास्थ्य ।
5. सजीव जगत– वर्गीकरण, संरचना, जैविक प्रक्रियाएं, अनुकूलन, जैव उत्पत्ति ।
6. बल, गति एवं दाब ।
7. कार्य, ऊर्जा और मशीन ।
8. ताप एवं उष्मा ।
9. हमारे आसपास का वातावरण – भौतिक और रसायनिक परिवर्तन, कार्बन–अपररूप, हाईड्रोकार्बन ।
10. प्राकृतिक घटनाएं – प्रकाश, ध्वनि ।
11. वस्तुएं कैसे काम करती हैं– चुम्बक, विद्युत एवं विद्युतधारा ।
12. प्राकृतिक संसाधन ।
13. खाद्य उत्पादन और प्रबंधन ।
14. पर्यावरण ।
15. विज्ञान के उद्धेश्य ।
16. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना ।
17. महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों से अवगत कराना ।

lkekU; Kku & (50 अंक)

मध्यप्रदेश की सामान्य प्रमुख जानकारियां, प्रमुख अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख नदियां, प्रमुख सिंचाई योजनाएं, पर्यटन (दुर्ग व किले, प्रमुख महल, पौराणिक दर्शनीय एवं प्राकृतिक स्थल, गुफाएं, समाधी व मकबरे इत्यादि), मध्यप्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व(राजनैतिक, खिलाड़ी, कलाकार, प्रशासन, लेखक, साहित्यकार, समाजसेवी इत्यादि) ।

अध्याय–5

परीक्षार्थियों के लिए उत्तरशीट भरने हेतु निर्देश

परीक्षा का प्रारंभ एवं ओ.एम.आर. में उत्तर अंकित करने की विधि :–

1. (क) अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर. उत्तरशीट में प्रविष्टियॉ जैसे नाम, रोल नंबर आदि भरने के लिए परीक्षा आरंभ में मात्र 10 मिनट का समय दिया जाएगा।

   (ख) निर्धारित 10 मिनट के पश्चात् अभ्यर्थियों को प्रश्नपुस्तिका दी जावेगगी, जिसमें अभ्यर्थी को निम्नानुसार कार्यवाही करना होगी :–

   (1) प्रश्नपुस्तिका में चारों तरफ से लगी हुई कागज की सील देख लें। बिना कागज की सील लगी अथवा खुली हुई प्रश्नपुस्तिका स्वीकार न करें।

   (2) प्रश्नपुस्तिका के पृष्ठों तथा प्रश्नों की संख्या का मिलान इसके मुख पृष्ठ पर दी गई संख्याओं से कर लें। यदि इसमें कोई भिन्नता हो तो कृपया प्रश्नपुस्तिका बदल लें। यह कार्यवाही आपको प्रश्नपुस्तिका मिलने के एक मिनट के अंदर करनी है। इसके पश्चात् न तो प्रश्नपुस्तिका बदली जायेगी और न ही अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

   (3) प्रश्नपुस्तिका की जॉच के उपरांत प्रश्नपुस्तिका का क्रमांक अपनी उत्तरशीट में अंकित करें एवं काले बाल प्वाइंट पेन से संबंधित गोलों को भरें।

2. (क) दी गई ओ.एम.आर. उत्तरशीट के पृष्ठ 1 के ऊपरी आधे हिस्से में अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, परीक्षा केन्द्र का नाम, परीक्षा तिथि एवं प्रश्नपुस्तिका की क्रम संख्या अंकित करें तथा अपने हस्ताक्षर भी करें। इसी पृष्ठ के निचले आधे हिस्से में सबसे ऊपर की लाई में बने ☐ चौखाने में अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में प्रथमतः अपना सरनेम एवं इसके पश्चात् नाम लिखें। एक चौखाने ☐ ☐ में एक ही अक्षर लिखें, फिर प्रत्येक अक्षर के नीचे उसी अक्षर वाले ◯ गोले को काले बाल प्वाइंट पेन से गहरा काला करें।

   (ख) ओ.एम.आर. उत्तरशीट के पृष्ठ क्रं. 2 पर रोल नंबर आदि ☐ चौखाने में लिखे एवं संबंधित ◯ गोले को काले बाल प्वाइंट पेन से गहरा काला करें।

   (ग) ओ.एम.आर. उत्तरशीट के पृष्ठ क्रं. 2 पर प्रश्नों के ऊपर अंकित किया जाना है।

3. ओ.एम.आर. उत्तरशीट में काले बाल प्वाइंट पेन से भरे गोलों ◯ की प्रविष्टियों को ही पढ़ा जाता है। अतः परीक्षार्थियों को सचेत किया जाता है कि वे ओ.एम.आर. उत्तरशीट के पृष्ठ 1 व 2 पर प्रविष्टियों को भरते समय पूर्ण सावधानी बरतें एवं कोई त्रुटि न करें।

4. ओ.एम.आर. उत्तरशीट में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी अपने अंगूठे का निशान लगाऍ व हस्ताक्षर करें तथा चाही गई जानकारी को 20–25 शब्दों में अपनी स्वयं की हस्तलिपि में लिखें।

4. ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर निर्धारित स्थानों पर वांछित प्रविष्टियों को पूर्ण करने के अतिरिक्त अन्य कुछ न लिखें।

5. ओ.एम.आर. उत्तरशीटों में उत्तर अंकित करने की विधि :–

   वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अभ्यर्थी को चार संभावित उत्तरों में से केवल एक उत्तर चुनना है। इस चुने हुए उत्तर के गोले को बाल प्वाइंट पेन से काला करें। यदि असावधानीवश किसी अन्य गोले में अभ्यर्थी द्वारा कोई चिन्ह लग जाता है, या रेखा खिंच जाती है, तो पूरी संभावना है कि ओ.एम. आर. स्केनर द्वारा इसे पढ़ लिया जावेगा, जिसका प्रभाव उत्तरशीट के मूल्यांकन पर होगा। अतः अभ्यर्थी को उत्तरपुस्तिका के रखरखाव में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।

उदाहरण :–

A	B	C	D
●	○	○	○

6. मूल्यांकन पद्धति :–

   वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple Marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदान दिया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

7. उत्तरशीट वीक्षक को सौंपना :–

   वीक्षक को ओ.एम.आर. उत्तरशीट सौंपने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. उत्तरशीट के दोनों पृष्ठों पर सभी प्रविष्टियॉ जैसे नाम, रोल नंबर, हस्ताक्षर, प्रश्नपुस्तिका का नंबर, सेट कोड आदि निर्धारित स्थान पर अंकित कर संबंधित गोलों को काला किया हैं। परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी को प्रश्नपुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

8. ओ.एम.आर. उत्तरशीट के उपयोग में सावधानी :–

   ओ.एम.आर. उत्तरशीट का उपयोग करते समय पूर्ण सावधानी बरतें। इसे फटने, मोड़ने या सलवट पड़ने से खराब न होने दें।

––––0––––

पृष्ठ 1

म. प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल VYAPAM

ओ.एम.आर. उत्तरशीट

महत्वपूर्ण निर्देश

SPECIMEN COPY

1. गोले को काला करने का एकमात्र सही तरीका ○○●○

   उपरोक्तानुसार गोले को काला करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के चिन्ह या निशान को स्केनर द्वारा पढें जाने या नही पढें जाने की जिम्मेदारी केवल परीक्षार्थी की होगी।
2. चौखाने □ में लिखने एवं गोलों ○ को काला करने के लिये काले बॉल प्वाइंट पेन का उपयोग करें।
3. ओ. एम. आर. उत्तरशीट में किसी अन्य प्रकार का निशान आदि कहीं पर न बनायें।
4. ओ. एम. आर. उत्तरशीट को न मोडे न स्टेपिल न गंदा करें और न ही व्हईटनर/ब्लैड/इरेजर/आदि का उपयोग करें।
5. किसी भी कालम में एक से अधिक गोले को काला न करें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (जैसा कि आवेदन पत्र में किया गया है)

अंगूठे का निशान (जैसा कि आवेदन पत्र में लगाया गया है)

परीक्षा केन्द्र की सील
परीक्षा की तिथि
दिनांक □□ माह □□ वर्ष □□□□

परीक्षा का नाम

अभ्यर्थी का उपनाम (अंग्रेजी के केपिटल में)

अभ्यर्थी का नाम (अंग्रेजी के केपिटल में)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

आप इस परीक्षा में क्यों सम्मिलित होना चाहते है ? अधिकतम 20 शब्दों में लिखें।

वीक्षक के नाम	वीक्षक के हस्ताक्षर
(1)	(1)
(2)	(2)

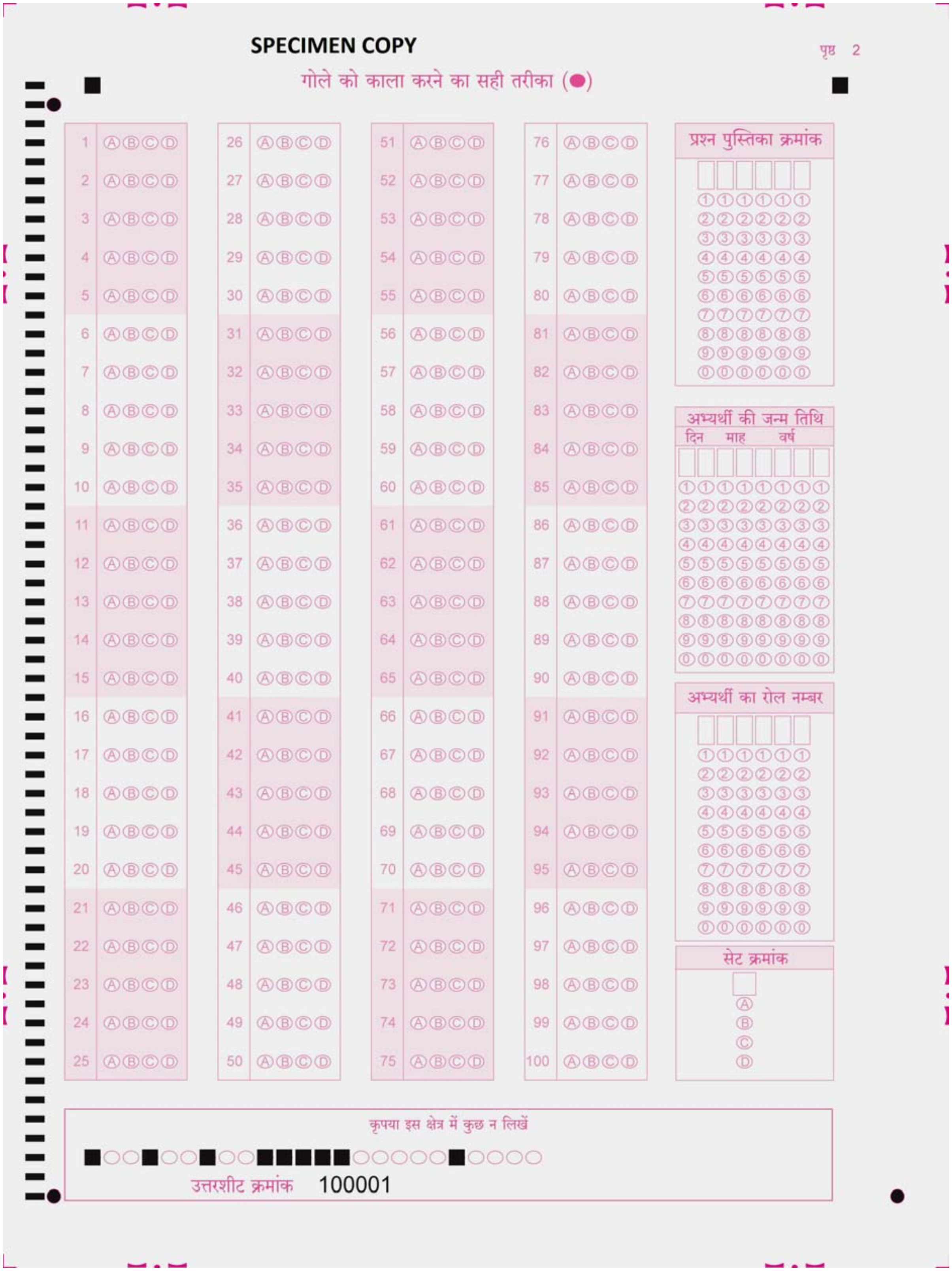

SPECIMEN COPY

पृष्ठ 2

गोले को काला करने का सही तरीका (●)

1	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	26	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	51	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	76	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
2	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	27	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	52	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	77	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
3	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	28	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	53	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	78	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
4	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	29	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	54	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	79	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
5	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	30	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	55	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	80	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
6	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	31	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	56	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	81	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
7	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	32	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	57	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	82	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
8	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	33	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	58	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	83	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
9	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	34	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	59	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	84	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
10	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	35	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	60	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	85	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
11	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	36	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	61	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	86	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
12	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	37	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	62	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	87	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
13	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	38	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	63	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	88	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
14	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	39	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	64	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	89	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
15	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	40	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	65	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	90	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
16	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	41	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	66	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	91	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
17	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	42	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	67	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	92	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
18	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	43	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	68	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	93	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
19	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	44	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	69	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	94	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
20	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	45	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	70	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	95	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
21	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	46	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	71	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	96	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
22	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	47	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	72	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	97	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
23	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	48	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	73	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	98	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
24	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	49	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	74	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	99	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ
25	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	50	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	75	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ	100	Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

प्रश्न पुस्तिका क्रमांक

① ① ① ① ① ①
② ② ② ② ② ②
③ ③ ③ ③ ③ ③
④ ④ ④ ④ ④ ④
⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤
⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥
⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦
⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧
⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨
⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪

अभ्यर्थी की जन्म तिथि

दिन माह वर्ष

① ① ① ① ① ① ① ①
② ② ② ② ② ② ② ②
③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④
⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤
⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥
⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦
⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧
⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨
⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪

अभ्यर्थी का रोल नम्बर

① ① ① ① ① ①
② ② ② ② ② ②
③ ③ ③ ③ ③ ③
④ ④ ④ ④ ④ ④
⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤
⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥
⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦
⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧
⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨ ⑨
⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪ ⓪

सेट क्रमांक

Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

कृपया इस क्षेत्र में कुछ न लिखें

उत्तरशीट क्रमांक 100001